लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ईएंडएस) 2015/आईबी-3

दिसम्बर 2015

स्मार्ट सिटी

प्रस्तावना

शहर विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में आर्थिक विकास के वाहक होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 63% का योगदान करती है। बड़े पैमाने पर हो रहे शहरीकरण को देखते हुए आज शहरों को और अधिक स्मार्ट बनाए जाने तथा जटिलताओं को दूर करने, कुशलता में वृद्धि करने, व्यय को कम करने, जीवन स्तर में सुधार लाने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके और उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के विकास में शहरों का महत्वपूर्ण स्थान है, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 100 शहरों को ''स्मार्ट सिटी'' के रूप में विकसित करने की पहल की है। इस कार्य के लिए 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि नियत की गई है जिसे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मूल्यांकन के पश्चात् बढ़ाया भी जा सकता है।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा

नि:संदेह स्मार्ट सिटी की अवधारणा एक नई संकल्पना है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना का उद्भव बढ़ते हुए शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का सामना करने के उपाय के रूप में हुआ है। तथापि, स्मार्ट सिटी की निश्चित परिभाषा नहीं है। यह अवधारणा विभिन्न देशों में और यहां तक कि एक देश के अंदर भी अलग-अलग है जो भौगोलिक स्थिति, विकास के स्तर और वहां के निवासियों की आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। यूरोप में स्मार्ट सिटी की अवधारणा भारत से काफी अलग है। भारत में भी स्थानीय संदर्भ और संसाधनों के आधार पर स्मार्ट सिटी की अवधारणा में अत्यधिक भिन्नता है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा इलाहाबाद, विशाखापट्टनम और कावारत्ती के लिए एक जैसी नहीं हो सकती।

आधुनिक युग में स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग वर्ष 2007 में वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रूडोल्फ जिफींजर ने शहरी जीवन की गुणवत्ता पर यूरोपियन एकीकरण के प्रभावों के आकलन संबंधी अध्ययन के दौरान किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में जागरूकता, लचीलापन, परिवर्तनशीलता, संयोजनशीलता, निजता और शहरों के स्वनिर्णय तथा कार्यनीतिक स्वरूप जैसे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने शहरों को छह मानदंडों अर्थात्- अर्थव्यवस्था की स्मार्टनेस, लोग, शासन, गतिशीलता, पर्यावरण और जीवन-दशाओं के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है।

ब्रिटेन में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड स्किल्स स्मार्ट सिटी को एक स्थिर परिणाम नहीं बल्कि अनवरत प्रक्रिया मानता है जिसमें नागरिकों की अधिक भागीदारी, कठोर अवसंरचना, सामाजिक पूंजी और डिजिटल प्रौद्योगिकियां शहरों को रहने योग्य, लोचपूर्ण और चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती हैं। दि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, लंदन ने इसकी परिभाषा ''नागरिकों को सतत्, समृद्ध और समावेशी भविष्य प्रदान करने के लिए निर्मित पर्यावरण में भौतिक, डिजिटल और मानवीय तंत्रों के प्रभावी एकीकरण के रूप में की है।'' विभागों से संबद्ध संसद की शहरी विकास संबंधी समिति (पांचवां प्रतिवेदन, 16वीं लोक सभा), 2015 के अनुसार, ''स्मार्ट सिटी अच्छी अवसंरचना जैसे जल, स्वच्छता, विश्वसनीय जन उपयोगी सेवाएं, स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने, निवेश को आकर्षित करने, पारदर्शी प्रक्रियाएं जो व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में सहायक हों तथा स्वीकृतियां लेने हेतु सरल और ऑन लाइन प्रक्रियाएं अपनाने और नागरिकों को सुरक्षा और प्रसन्नता का अनुभव कराने के लिए उनके अनुकूल विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए।'' ''रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्मार्ट शहरों का विकास चार स्तंभों-सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना और आर्थिक अवसंरचना पर आधारित होगा। गुणवत्तापूर्ण जीवन इन्हीं चारों स्तंभों पर निर्भर करेगा। स्मार्ट शहर सेवा प्रदाताओं और नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देंगे और उन्हें

सेवाओं की गुणवत्ता, अवसंरचना की स्थिति और सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के संबंध में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने में सक्षम होंगे।''

मोटे तौर पर स्मार्ट सिटी की छवि में अवसंरचना, कुछ सेवाओं और नागरिकों की आवश्यकताओं की एक इच्छा सूची निहित होती है। स्मार्ट सिटी से तात्पर्य एक विकसित शहरी क्षेत्र से है जो सतत आर्थिक विकास और उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सतत वातावरण और समावेशी विकास प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी की अवधारणा ऐसे उदाहरण स्थापित करने के लिए लाई गई है जो स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोनों ओर परिलक्षित हो सके और ऐसे ही अन्य स्मार्ट शहरों के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य कर सकें।

स्मार्ट सिटी के लिए आधारभूत तत्व

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ''स्मार्ट सिटी'' लिए जून, 2015 में तैयार मिशन विवरण और दिशानिर्देश के अनुसार एक स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वों में निम्नतम शामिल होंगे:-

- पर्याप्त जल आपूर्ति
- सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- प्रभावशाली शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- विशेषकर गरीबों के लिए किफायती आवास
- सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेषकर ई-शासन और नागरिक भागीदारी
- सतत पर्यावरण
- नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा और बचाव, और
- स्वास्थ्य और शिक्षा।

स्मार्ट सिटी की विशेषताएं

स्मार्ट शहरों में व्यापक विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार दी गई हैं:-

- क्षेत्र आधारित विकास में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना
- आवास और समग्रता
- आस-पास के क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि वहां पैदल ही जाया जा सके
- खुले स्थानों को परिरक्षित और विकसित करना
- भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना
- शासन को नागरिक-अनुकूल और लागत प्रभावी बनाना
- शहर को एक पहचान देना
- अवस्थापना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र-आधारित विकास के लिए स्मार्ट समाधानों को प्रयुक्त करना।

स्मार्ट समाधान

स्मार्ट समाधान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के उपयोग से संबंधित हैं ताकि विद्यमान शहरों को बेहतर बनाया जा सके। शहर सरकारी निधियों को लागत प्रभावी बनाकर क्षेत्र आधारित विकास में कितने भी स्मार्ट समाधान शामिल कर सकते हैं। मिशन विवरण और दिशानिर्देश के अनुसार 21 स्मार्ट समाधान हैं, जिन्हें मोटे तौर पर छह वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा ई-शासन और नागरिक सुविधाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और अन्य।

ई-शासन और नागरिक सुविधाएं

- सार्वजनिक सुरक्षा और शिकायत निवारण
- इलेक्ट्रानिक सेवा सुपुर्दगी
- नागरिक भागीदारी
- नागरिक-शहर के प्रहरी
- वीडियो द्वारा अपराधों की निगरानी

अपशिष्ट प्रबंधन

- ऊर्जा और ईंधन संबंधी अपशिष्ट
- वानस्पतिक खाद संबंधी अपशिष्ट
- अपशिष्ट जल का परिशोधन
- निर्माण और तोड़फोड़ से उत्पन्न अपशिष्ट को घटाना और उसका पुनर्चक्रण करना

जल प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर लगाना और उनका प्रबंधन करना
- रिसाव का पता लगाना और उसे रोकना
- जल की गुणवत्ता की निगरानी

ऊर्जा प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर लगाना और उनका प्रबंधन करना
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत
- कम ऊर्जा का उपयोग करने वाले हरित भवन

शहरी गतिशीलता

- स्मार्ट पार्किंग
- कुशल यातायात प्रबंधन
- समेकित बहु-मॉडल परिवहन

अन्य

- टेली-मेडिसन और टेली-एजुकेशन
- ऊष्मायन/व्यापार सुगमता केन्द्र
- कौशल विकास केन्द्र

क्षेत्र-आधारित विकास मॉडल

प्रत्येक चयनित शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव से (पुन: संयोजन) रिट्रोफिटिंग अथवा पुनर्विकास या हरित क्षेत्र विकास मॉडल अथवा उनके मिश्रण को अपनाने की आशा की जाती है तथा यह स्मार्ट समाधानों के साथ पैन सिटी विशेषताएं लिए होगा। नीचे क्षेत्र आधारित स्मार्ट-सिटी विकास के तीन मॉडल दिए गए हैं-

रिट्रोफिटिंग (पुनः संयोजन)

रिट्रोफिटिंग (सुधार) का अर्थ है कि 500 एकड़ से अधिक के वर्तमान निर्मित क्षेत्र की स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसका विकास करना; जिससे वर्तमान क्षेत्र को अधिक कार्यक्षम और रहने योग्य बनाया जा सके। क्षेत्र की पहचान शहर के नागरिकों के परामर्श से की जाएगी। इस मॉडल में वर्तमान ढांचे अधिकतर यथावत् बने रहेंगे और रिट्रोफिटेड स्मार्ट शहर में अधिक गहन अवसंरचनात्मक सेवा स्तर और बड़ी संख्या में स्मार्ट अनुप्रयोग करने पड़ेंगे।

पुनर्विकास

पुनर्विकास का अर्थ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों के परामर्श से पहचान किए गए 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में वर्तमान निर्मित वातावरण का बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन किया जाएगा। पहचान किए गए क्षेत्र में मिश्रित भूमि प्रयोग, उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और अधिक भू-कवरेज के साथ नई अभिन्यास योजना (ले-आउट प्लान) तैयार की जाएगी।

हरित क्षेत्र

हरित क्षेत्र विकास में नवीकृत योजना, योजना वित्तपोषण और योजना कार्यान्वयन साधनों (लैंड पूलिंग/भूमिपुनर्गठन) का प्रयोग करते हुए पूर्व में 250 एकड़ से अधिक खाली पड़े क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों को आरंभ किया जाएगा और साथ ही विशेषकर गरीबों के लिए किफायती आवासों का प्रावधान भी किया जाएगा। शहरों के आसपास के हरित क्षेत्रों का विकास बढ़ रही आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

पैन सिटी

पैन सिटी विकास में वर्तमान शहर व्यापी अवसंरचना में चुनिंदा स्मार्ट समाधानों के प्रयोग की कल्पना की गई है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा शामिल हैं, जो अवसंरचना और सेवा को उत्तम बनाएंगे।

स्मार्ट-सिटी प्रस्ताव

प्रत्येक शहर स्मार्ट सिटी के लिए अपनी संकल्पना, दर्शन, मिशन और योजना (प्रस्ताव) तैयार करेगा जो उसकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और महत्वाकांक्षाओं के स्तरों के लिए उपयुक्त हों। इसके लिए शहर कार्यनीतिक आयोजना प्रक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करेंगे और इन प्रस्तावों में क्षेत्र आधारित विकास योजनाएं और पैन सिटी पहल शामिल होंगी। शहरों द्वारा तैयार स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में दूरदर्शिता, संसाधनों को जुटाने के लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट होंगे। एससीपी सहयोगपूर्ण योजना है क्योंकि एससीपी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान सभी सरकारी विभागों, पैरास्टेटल्स, निजी एजेंसियों और नागरिकों के उद्देश्यों और निधियों में सामंजस्य स्थापित कराया जाता है। चूंकि, एससीपी तैयार करने का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है, अत: राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीकी सहायता प्राप्त करने के दो तरीके हैं—एक परामर्शदात्री फर्मों की सेवाएं लेना और दूसरा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यू.एन. हैबिटेट जैसी सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों से जुड़ना। शहरी विकास मंत्रालय तकनीकी रूप से परामर्शदायी फर्मों के एक पैनल का चयन करेगा और राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र इस पैनल से सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्यों के पास राज्य वित्तीय नियमों के अनुसार पारदर्शी और उचित प्रक्रिया अपनाकर पैनल से बाहर किसी परामर्शदायी फर्म को नियुक्त करने का भी विकल्प है। मंत्रालय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

विशेष सिटी प्रस्ताव की आवश्यक विशेषताएं

विशेष सिटी प्रस्ताव में बड़ी संख्या में अवसंरचना सेवाएं और स्मार्ट समाधान शामिल होंगे। एसएलपी की कुछ आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- स्मार्ट सिटी की कम से कम 10 प्रतिशत ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति सौर ऊर्जा से करके सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति
- अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और वर्षा जल के पुन: उपयोग सहित पर्याप्त जल-आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट, जल प्रबंधन सहित स्वच्छता
- वर्षा जल संचयन
- सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी, संपर्कता और डिजिटलीकरण
- पैदल यात्री अनुकूल पथ
- कुशल यातायात प्रबंधन
- स्मार्ट पार्किंग
- ऊर्जा कुशल पथ प्रकाश
- खुले स्थानों का नवोन्मेषी उपयोग
- अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक क्षेत्र, और
- नागरिकों विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का कार्यान्वयन

मिशन के कार्यान्वयन के लिए शहर के स्तर पर एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी। शहर के स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यह एक लिमिटेड कंपनी होगी और 50:50 प्रतिशत की संयुक्त इक्विटी अंशधारिता के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इसका प्रवर्तन किया जाएगा। एसपीवी को योजना बनाने, उसका मूल्यांकन और अनुमोदन करने, निधियां जारी करने और स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन, निगरानी और मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा जाएगा।

एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में प्रत्येक स्मार्ट सिटी का एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा जिसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय के नामिती होंगे। यदि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकाय के 50:50 अंशधारण पैटर्न को बनाए रखा जाता है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय के पास संयुक्त एसपीवी का अधिकांश अंशधारण तथा नियंत्रण हो तो एसपीवी में इक्विटी अंश लेने के लिए निजी क्षेत्र अथवा वित्तीय संस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय परियोजना के आकार, अपेक्षित वाणिज्यिक वित्तपोषण तथा वित्तपोषण के तौर-तरीकों के अनुरूप एसपीवी की प्रदत्त पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे। एसपीवी का इक्विटी आधार बनाने तथा इक्विटी पूंजी के अंश के योगदान के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने हेतु, कुछ शर्तों के अध्यधीन भारत सरकार अनुदान एसपीवी में इक्विटी पूंजी के यूएलबी अंश के रूप में उपयोग किए जाने की अनुमति दी जाएगी।

निगरानी

स्मार्ट सिटी संबंधी मिशन दस्तावेज और दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय, राज्य और शहर तीन स्तरों पर स्मार्ट सिटी की निगरानी किए जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी: राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति जिसमें संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, को प्रस्तावों का अनुमोदन करने, उनकी प्रगति की निगरानी करने तथा निधियां जारी करने का अधिदेश दिया गया है।

राज्य स्तर पर निगरानी: राज्य के स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया जाएगा जो कि समग्र रूप से स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन करेगी। समिति स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सहित प्रथम चरण अंत:राज्यीय प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया की भी निगरानी करेगी।

शहर स्तर पर निगरानी: विभिन्न हितधारकों को परामर्श देने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री मंच की स्थापना की जाएगी। इस परामर्शदात्री मंच में जिला अधिकारी, एसपीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद सदस्य विधायक, महापौर, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ तथा क्षेत्र की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चुनौतियां

शहरी विकास मंत्रालय वित्त पोषण करने और क्षेत्र आधारित विकास रणनीति का उपयोग करने हेतु शहरों का चुनाव करने के लिए चुनौती अथवा प्रतिस्पर्धा पद्धति का उपयोग करता है। इसमें प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद की भावना निहित है। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्मार्ट शहरों के विकास में एक मुख्य सहायक की भूमिका निभाएंगे। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और विजन तथा निर्णयात्मक रूप से कार्य करने की योग्यता स्मार्ट सिटी की सफलता निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण घटक होंगे। हितधारकों को प्रत्येक स्तर पर रिट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकास की अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया में सहभागिता से पहले विशेष रूप से आयोजना चरण के दौरान पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी एक पूर्वापेक्षा है।

स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण

स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्तपोषण पैटर्न पर आधारित है। केन्द्र सरकार पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में 100 शहरों में 48000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रत्येक स्मार्ट सिटी को प्रत्येक वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इतनी ही राशि का योगदान समान आधार पर राज्यों/यूएलबी द्वारा किया जाएगा। ये निधियां, आंतरिक और बाहरी स्रोतों से निधियां प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक का कार्य करेंगी।

अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण

सरकार और स्मार्ट सिटी मिशन की बहुत सी सेक्टोरल योजनाओं के बीच सुदृढ़ एकीकरण है और ऐसे एकीकरण से बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शहर अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन, हृदय: विरासत शहर विकास और संवर्द्धन योजना, डिजिटल भारत, कौशल विकास, सभी के लिए आवास, संस्कृति विभाग द्वारा वित्तपोषित संग्रहालयों का निर्माण और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति जैसे सामाजिक अवसंरचना से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को स्मार्ट सिटी कार्यक्रम से आयोजना चरण में एकीकृत किया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी हेतु चयन प्रक्रिया

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच 100 स्मार्ट सिटी का वितरण एक समान मानदंड पर आधारित है, ताकि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कम से कम एक स्मार्ट सिटी मिल सके। इस संबंध में अपनाए गए सूत्र में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की शहरी जनसंख्या और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या के लिए 50:50 की समान प्राथमिकता परिकल्पित की गई है। इस सूत्र के अनुसार, 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक-एक स्मार्ट सिटी निर्धारित की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के लिए क्रमशः 13, 12 और 10 स्मार्ट सिटी आवंटित की गई हैं।

स्मार्ट सिटी की चयन प्रक्रिया के दो चरण हैं। पहले चरण में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पूर्ववर्ती स्थितियों और अंक देने संबंधी मानदंड के आधार पर तथा इसके लिए निर्धारित कुल संख्या के अनुसार संभावित स्मार्ट सिटी की छंटनी आरंभ करते हैं। यह एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता है, और किसी भी राज्य के शहरों में आपस में प्रतियोगिता होती है। पूर्ववर्ती स्थितियों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संभावित स्मार्ट सिटी को चुना जाता है तथा दूसरे चरण में भाग लेने की सिफारिश की जाती है। राज्य मिशन निदेशक और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् सफल शहरों के नाम शहरी विकास मंत्रालय को भेजे जाते हैं। दूसरे चरण में, सभी 100 स्मार्ट सिटी चयनित मॉडल, आदि का ब्यौरा देते हुए अपना स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करते हैं और इनका मूल्यांकन विशेषज्ञों और संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विजेताओं की घोषणा की जाती है।

स्मार्ट सिटी हेतु 98 शहरों का चयन किया गया

सरकार ने 27 अगस्त, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित 98 शहरों की सूची जारी की है (तालिका एक)। जम्मू और कश्मीर ने संभावित स्मार्ट सिटी का नाम भेजने के लिए और समय की मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश ने उसे आवंटित 13 शहरों की अपेक्षा 12 का नाम भेजा है। जनसंख्या के संदर्भ में, 1,24,00,000 जनसंख्या के साथ बृहन्मुंबई सबसे बड़ा शहर है, जबकि कावारत्ती 11,210 जनसंख्या वाला सबसे छोटा शहर है। 98 स्मार्ट शहरों में से, 24 व्यापार और उद्योग केन्द्र हैं, 18 सांस्कृतिक और पर्यटन केन्द्र हैं और 3 शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र हैं।

तालिका-एक

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित 98 शहर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आवंटित शहरों की संख्या	चयनित शहर	चयनित शहरों की जनसंख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1. पोर्ट ब्लेयर	1,40,572
2.	आंध्र प्रदेश	3	1. विशाखापत्तनम 2. तिरुपति 3. काकीनाडा	18,78,980 3,74,260 3,50,986
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1. पासीघाट	24,656
4.	असम	1	1. गुवाहाटी	9,62,334
5.	बिहार	3	1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर 3. बिहारशरीफ	3,93,724 4,10,210 2,96,889
6.	चंडीगढ़	1	1. चंडीगढ़	10,55,450
7.	छत्तीसगढ़	2	1. रायपुर 2. बिलासपुर	10,47,389 3,65,579
8.	दमन और दीव	1	1. दीव	23,991
9.	दादरा और नगर हवेली	1	1. सिल्वासा	98,032
10.	दिल्ली	1	1. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2,49,998

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आवंटित शहरों की संख्या	चयनित शहर	चयनित शहरों की जनसंख्या
11.	गोवा	1	1. पणजी	1,00,000
12.	गुजरात	6	1. गांधीनगर 2. अहमदाबाद 3. सूरत 4. वडोदरा 5. राजकोट 6. दाहोद	2,92,797 55,77,940 44,67,797 17,52,371 13,23,363 1,30,530
13.	हरियाणा	2	1. करनाल 2. फरीदाबाद	3,02,140 14,14,050
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1. धर्मशाला	22,580
15.	झारखंड	1	1. रांची	10,73,427
16.	कर्नाटक	6	1. मंगलुरू 2. बेलागवी 3. शिवमोगा 4. हुबली–धारवाड़ 5. तुमकुरू 6. दावणगेरे	4,84,785 4,88,292 3,22,428 9,43,857 3,05,821 4,35,128
17.	केरल	1	1. कोच्चि	6,01,574
18.	लक्षद्वीप	1	1. कावारत्ती	11,210
19.	मध्य प्रदेश	7	1. भोपाल 2. इंदौर 3. जबलपुर 4. ग्वालियर 5. सागर 6. सतना 7. उज्जैन	19,22,130 21,95,274 12,16,445 11,59,032 2,73,296 2,80,222 5,15,215
20.	महाराष्ट्र	10	1. नवी मुंबई 2. नासिक 3. ठाणे 4. बृहन्मुंबई 5. अमरावती 6. सोलापुर 7. नागपुर 8. कल्याण–डोंबिवली 9. औरंगाबाद 10. पुणे	11,19,000 14,86,000 18,41,000 1,24,00,000 7,45,000 9,52,000 24,60,000 15,18,000 11,65,000 31,24,000
21.	मणिपुर	1	1. इम्फाल	2,68,243
22.	मेघालय	1	1. शिलांग	3,54,325
23.	मिजोरम	1	1. आइजॉल	2,91,000

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आवंटित शहरों की संख्या	चयनित शहर	चयनित शहरों की जनसंख्या
24.	नागालैंड	1	1. कोहिमा	1,07,000
25.	ओडिशा	2	1. भुवनेश्वर 2. राउरकेला	8,40,834 3,10,976
26.	पुदुचेरी	1	1. ऑलगरेट	3,00,104
27.	पंजाब	3	1. लुधियाना 2. जालंधर 3. अमृतसर	16,18,879 8,68,181 11,55,664
28.	राजस्थान	4	1. जयपुर 2. उदयपुर 3. कोटा 4. अजमेर	30,73,350 4,75,150 10,01,365 5,51,360
29.	सिक्किम	1	1. नामची	12,190
30.	तमिलनाडु	12	1. तिरूचिरापल्ली 2. तिरूनेलवेली 3. डिंडीगुल 4. तंजाउर 5. तिरूप्पुर 6. सलेम 7. वेल्लोर 8. कोयंबटूर 9. मदुरै 10. इरोड 11. तोतूकुडी 12. चेन्नई	9,16,674 4,74,838 2,07,327 2,22,943 8,77,778 8,31,038 5,04,079 16,01,438 15,61,129 4,98,129 3,70,896 67,27,000
31.	तेलंगाना	2	1. ग्रेटर हैदराबाद 2. ग्रेटर वारंगल	67,31,790 8,19,406
32.	त्रिपुरा	1	1. अगरतला	4,00,004
33.	उत्तर प्रदेश	13	1. मुरादाबाद 2. अलीगढ़ 3. सहारनपुर 4. बरेली 5. झांसी 6. कानपुर 7. इलाहाबाद 8. लखनऊ 9. वाराणसी 10. गाजियाबाद 11. आगरा 12. रामपुर	8,87,871 8,74,408 7,05,478 9,03,668 5,05,693 27,65,348 11,12,544 28,17,105 11,98,491 16,48,643 15,85,704 3,25,313

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आवंटित शहरों की संख्या	चयनित शहर	चयनित शहरों की जनसंख्या
34.	उत्तराखंड	1	1. देहरादून	5,83,971
35.	पश्चिम बंगाल	4	1. न्यू टाउन कोलकाता 2. बिधान नगर 3. दुर्गापुर 4. हल्दिया	36,541 6,33,704 5,71,000 2,72,000

संसद सदस्यों की भूमिका

स्मार्ट सिटी की अवधारणा नई है और इस अवधारणा के संबंध में संसद सदस्यों सहित इससे संबंधित विभिन्न लोगों के विचार, परिभाषाएं और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं जो इस अवधारणा को विस्तार से समझने में सहायक हैं। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ''मिशन व्याख्या और दिशा-निर्देश'' अत्यंत लाभदायक और सूचनाप्रद हैं जो शहरों से संबंधित निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी निश्चित करने के साथ-साथ उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। विभागों से संबद्ध शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने 31 जुलाई, 2015 को प्रस्तुत अपने सातवें प्रतिवेदन में कहा है कि शहरों में आयोजित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों को प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए शहरों में विश्वस्तरीय अवसंरचना और सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।'' इसमें सर्वोपरि सिद्धांत के रूप में शहरी एजेंडा में लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भूमिका विधिवत रूप से सुनिश्चित की गई है। ''मिशन व्याख्या और दिशा-निर्देशों'' के अनुसार, प्रत्येक स्मार्ट सिटी में शहरी स्तर पर एक स्मार्ट एडवाइज़री फोरम का गठन किया जाएगा और संसद सदस्य इस फोरम के सदस्य होंगे। इस प्रावधान से सदस्यों को स्मार्ट सिटी के कार्यकरण से निचले स्तर पर जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। संसद सदस्यों को स्मार्ट सिटी से संबंधित मामलों को सदन में उठाने के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होंगे ताकि पूरी प्रणाली को निर्बाध रूप से चलाया जा सके। संसद में प्रश्न पूछने के अतिरिक्त संसद में स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित विषय पर चर्चा के पश्चात् वे इन परियोजनाओं की समीक्षा करने की स्थिति में भी होंगे। विभागों से संबद्ध शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय, जो कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के संबंध में नोडल मंत्रालय है, की अनुदानों की मांगों, दीर्घकालीन नीति और वार्षिक प्रतिवेदन पर भी विचार करती है।

निष्कर्ष

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से 98 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। इस तरह से भारत में शहरी क्रांति का सूत्रपात हो गया है। इससे स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से ऐसी प्रौद्योगिकियों जिनसे स्मार्ट नतीजे निकलते हों, के प्रयोग से आर्थिक विकास को गति मिलेगी और शहरों के जीवन स्तर में सुधार होगा। स्मार्ट सिटी परियोजना वास्तव में एक महत्वपूर्ण पहल है जो रहने योग्य बेहतर शहरों के निर्माण हेतु मार्ग प्रशस्त करेगी और आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की वाहक सिद्ध होगी। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को आधुनिक, कुशल और सतत बनाने के साथ-साथ रहने और कार्य के सर्वाधिक अनुकूल बनाना है। स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया अभी आरंभिक चरण में है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है।

यह बुलेटिन श्री अभिजीत कुमार, संयुक्त सचिव और डॉ. डी.के. सिंह, निदेशक की देखरेख में डॉ. जयदेव साहू, अपर निदेशक और डॉ. रणबीर कुमार, संयुक्त निदेशक, लोक सभा सचिवालय द्वारा शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों के उपयोग हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक, श्रीमती सरिता नागपाल, अपर निदेशक, श्री अजित सिंह यादव और संयुक्त निदेशक, श्री विजय के. अस्थाना एवं संपादक, श्रीमती निशा शर्मा के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।